न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र.सं. 12/2025 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण

1. भागोती देवी पत्नि जगदीश
2. बिदोसी पत्नि कालूराम

समस्त जाति माली निवासी ग्राम आलूदा तहसील पापडदा जिला दौसा

....प्रार्थीगण

बनाम

1. धन्ना देवी पत्नि रामकिशोर जाति माली निवासी ग्राम आलूदा तहसील पापडदा जिला दौसा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदारदार पापडदा जिला दौसा
3. उपपंजीयक पापडदा जिला दौसा
4. यशवन्त कुमार मीना आर. ए. एस. उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा
5. मंगली देवी पत्नि शम्भू
6. रामावतार पुत्र शम्भू

जाति माली निवासी ग्राम आलूदा ढाणी नदी वाली तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण बाबत प्रकरण उनवानी धन्ना देवी बनाम भागोती देवी आदि दावा बाबत तकास्स्मा व स्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा वाद संख्या 21/25, टी.आई. संख्या 15/2025 आगामी तारीख पेशी दिनांक 20—3—2025

उपस्थित : 1. श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता
3. श्री शिवेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 5 से 6 की ओर से।

—:: निर्णय ::— दिनांक: 26.6.2025

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान में विचाराधीन मुकदमा उनवानी धन्ना देवी बनाम भागोती देवी आदि दावा बाबत तकास्स्मा व स्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा वाद संख्या 21/25, टी.आई. संख्या 15/2025 को किसी भी दीगर उप जिला कलक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानांतरण पेश किया गया है।
2. स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान से बिन्दुवार टिप्पणी मंगवाई गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 वादी द्वारा एक वाद पत्र प्रार्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध आराजी खसरा नम्बर 1007 रकबा 0.743 है0 वाके ग्राम आलूदा तह० पापडदा जिला दौसा के संबंध में बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया व उसके साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भी पेश किया जिसमें आगामी पेशी 20—3—2025 नियत है। अप्रार्थीनि संख्या 1 द्वारा गांव में ऐलानिया कहा जा रहा है कि उनकी पीठासीन अधिकारी यशवन्त मीना से पटरी बैठ गई है तथा उसने प्रकरण में जो आदेश फैसला उनके हक में होने वाला है तथा वाद पत्र उनके हक में डिक्री होगा। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण ने अप्रार्थीनि संख्या 1 को अप्रार्थी संख्या 04 पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते जाते देखा है ऐसी सूरत में प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नही है। न्याय का भी यह सिद्वान्त है कि जब पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नही रहे तो प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:47:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

की सुनवाई वहां किया जाना कतई आवश्यक एवम न्यायोचित नही है। उक्त प्रकरण को किसी अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण कर सुनवाई किया जाना आवश्यक है एवम तब अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान में होने वाली आगामी प्रोसीडिंग कार्यवाही को स्थगित फरमाया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण धन्ना देवी बनाम भागोती आदि वाद पत्र मु०नं० 21/2025 टी.आई. नं० 15/25 आ. पेशी 20–3–2025 को किसी अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित फरमाने की कृपा करे एवम तब तक अधिनस्थ न्यायालय में होने वाली आगामी प्रोसीडिंग कार्यवाही को स्थगित फरमाने कृपा करें।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 5 से 6 ने कथन किया कि प्रार्थीगण ने गलत आधारों पर प्रकरण को लंबित रखने की नीयत से यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।
5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत, असत्य, निराधार प्रस्तुत किया गया है। प्रा0पत्र खारिज फरमाया जावे।
6. उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रा0पत्र में वर्णित कथन सरासर झूंठ, मनगढन्त व निराधार है। दावा तकास्मा व प्रार्थना पत्र स्थाई निषेधाज्ञा तथा एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 6.2.2025 को न्यायालय में पेश किया गया था। दावा व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। वर्तमान में दावा पत्रावली जवाब व तलबी में चल रही है तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय में है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 को सुनवाई के समुचित अवसर दिये गये है। पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नियमों के विरूद्ध नहीं की गई है। प्रकरण प्रस्तुत होने की दिनांक से आदिनांक तक पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण कोई न्याय विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई है। प्रतिवादीगण/अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा प्रकरण में देरी किये जाने की मंशा से बिना आधार के यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो औचित्यहीन है। प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।
7. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
8. प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी सं0 1 गांव में ऐलानियां कह रहे है कि पीठासीन अधिकारी से उनकी पटरी बैठ गई है तथा उक्त प्रकरण जल्द से जल्द फैसला उनके पक्ष में होगा। उन्हें पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। किन्तु प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहॉ तक कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया कोई आदेश भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि उनके द्वारा अनुचित तरीके से निर्णय पारित किये जा रहे है। हम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य समझते है।
9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर प्रति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:47:28 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर दौसा

जिला कलेक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 25.6.2025 को लिखवाया जाकर मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:47:28 IST
Reason: SelfAttested